केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

सं.एल–1/153/2014/के.वि.वि.आ तारीख : 18 मई 2015

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 28 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त (सामर्थ्यकारी) सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे और आयोग द्वारा जब तक पूर्ववर्ती समीक्षा न की गई हो या उसे विस्तारित न किया गया हो, 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होंगे।

2. विस्तार तथा लागू होनाः (1) ये विनियम उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं तथा अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत हैं;
(2) 'अतिरिक्त पूंजीकरण' से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है;
(3) 'संपरीक्षक' से समय समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233ख और 619 या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अध्याय X, के उपबंधों के या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अनुसार संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(4) 'बैंक दर' से समय समय पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की बेस दर या उसका कोई प्रतिस्थापन प्लस 350 आधार बिन्दु अभिप्रेत है;

(5) 'क्रेता' से मध्यकालिक या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा क्रय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(6) 'पूंजी लागत' से इन विनियमों के विनियम 9 में यथापरिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(7) 'पूंजी व्यय या केपेक्स' से, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, की आस्तियों के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने वाली योजनाबद्ध पूंजी प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है;

(8) 'प्रभार' से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए इस निमित्त मासिक आधार पर संग्रहित किए जाने वाले आवर्ती संदाय अभिप्रेत हैं;

(9) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(10) 'संविदागत क्षमता' से दीर्घकालिक या मध्यकालिक पहुंच के माध्यम से व्यवस्थित क्षमता अभिप्रेत है;

(11) 'नियंत्रण अवधि' से 1.4.2014 से आरंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(12) 'दिन' से 0000 घंटे से आंरभ होने वाले 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(13) 'उपगत व्यय' से उपयोगी आस्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ऐसी निधि, चाहे इक्विटी या ऋण या दोनों हो, तथा नगद में संदत या नगद के समतुल्य निधि अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है;

(14) 'फीस' से ग्रिड पहुंच और अनुसूचीकरण के आंरभ के लिए दी गई सेवाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और समय समय पर आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता या किसी अन्य मद्दे संगृहीत एक बार या वार्षिक नियत संदाय अभिप्रेत है;

(15) 'ग्रिड पहुंच' से उत्पादन केन्द्र के स्टेज या यूनिट या तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं और विक्रेताओं सहित उत्पादन केन्द्र के समाकलन के लिए संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है;

(16) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(17) 'बाजार प्रचालन कृत्य' में अनुसूचीकरण, प्रेषण मीटरिंग, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापक, पारेषण हानि संगणना के कृत्य तथा प्रभाजन, विनियामक पूल लेखा का प्रचालन, प्रशासनिक सहायक सेवाएं, जानकारी प्रसार तथा कोई अन्य कृत्य सम्मिलित हैं जो अधिनियम या

राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र विनियम, 2005 (एनएलडीसी नियम) या समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों तथा आदेशों के अंतर्गत आरएलडीसी/एनएलडीसी को समनुदेशित किए जाएं;

(18) 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र' या 'एनएलडीसी' से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(19) 'ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी' या 'पोसोको' से अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन, सौंपी गई कंपनी और अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(20) 'प्रदेश' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;

(21) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर की जाती है;

(22) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' या 'आरएलडीसी' से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक प्रदेश के लिए केन्द्र अभिप्रेत है;

(23) 'प्रतिस्थापन व्यय या रेपेक्स' से उनके उपयोगी जीवन के पूरा होने पर पूंजी आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित या उपगत व्यय अभिप्रेत है लेकिन जिसे मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है;

(24) 'विनियामक पूल लेखा' से बाजार विखंडन के कारण विचलन व्यवस्थापन के प्रभारों, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों, संकुलता प्रभारों एवं संकुलता राशि के संचालन के लिए आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों या आदेशों के अधीन आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित लेखा या किसी अन्य लेखा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय समय से आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, अभिप्रेत हैं;

(25) 'स्कीम' से यथास्थिति प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी(पोसोको) के निगमित कार्यालय से सहबद्ध और उसपर संस्थापित सुविधाएं तथा उपकरण अभिप्रेत हैं और सम्मिलित हैं किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्:

(i) कम्प्यूटर प्रणाली, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर,
(ii) गौण ऊर्जा प्रदाय प्रणाली जिसमें अबाधित ऊर्जा प्रदाय डीजल जेनरेटिंग सेट, तथा डीसी ऊर्जा प्रणाली भी सम्मिलित है,
(iii) साधारण टेलीफोन तथा फैक्स तथा अन्य आफलाईन संचार प्रणाली।
(iv) अन्य अवसरंचना सुविधाएं जैसे वातानुकूलित, अग्निशामक तथा भवन का संनिर्माण तथा नवीकरण,
(v) बेहतर प्रणाली प्रचालन जैसे साइक्रोफेजर्स प्रणाली, प्रणाली संरक्षण स्कीम के लिए आर एंड डी परियोजनाओं तथा पाईलेट परियोजनाओं के लिए कोई इनोवेटिव स्कीमें,
(vi) आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के लिए बैकअप नियंत्रण केन्द्र,
(vii) निगरानी कैमरा प्रणाली,

(viii) साइबर सुरक्षा प्रणाली,
(ix) व्यापक क्षेत्र परिमापन प्रणाली(डब्ल्यूएएमएस);

(26) 'विक्रेता' से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखाकंन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(27) 'प्रणाली प्रचालन कृत्य' में ग्रिड प्रचालन की मानिटरिंग, अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा उसपर नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए रियल टाइम प्रचालन, ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए प्रणाली प्रतिस्थापन, प्रणाली प्रचालन तथा संकुचन प्रबंधन, ब्लैक आरंभ समन्वयन से संबंधित आंकड़ों का संकलन तथा उन्हें प्रस्तुत करना एवं कोई अन्य कृत्य जो समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों एवं आदेशों या एनएलडीसी नियमों या अधिनियम के अंतर्गत यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, को सौंपे जाएं;

(28) 'उपयोक्ता' से ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता, क्रेता तथा अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत हैं जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करता है:

टिप्पण:

(1) ऐसा उत्पादन केन्द्र या यूनिट जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रत्येक स्टेज या यूनिट के लिए अलग से किया जाता है, इस प्रकार के उत्पादन केन्द्र, स्टेज या यूनिट को इन विनियमों के विनियम 27 के अनुसार बाजार प्रचालन प्रभारों की शेयरिंग के प्रयोजन के लिए और विनियम 26 के अनुसार प्रणाली प्रचालन प्रभारों एवं इन विनियमों के विनिमय 25 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस के संदाय के लिए प्रयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;

(2) अंतरराज्यिक अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में प्रत्येक क्षेत्र जहां अनुज्ञप्तिधारी का प्रचालन है, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;

(3) जहां अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली किसी विदेश की पारेषण प्रणाली से संबद्ध है वहां उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा के आयात और निर्यात के लिए किए गए संव्यवहार के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन के समन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझी जाएगी;

(4) सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और भाखड़ा बीस प्रबंधन बोर्ड(बीबीएमबी) जिनका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन संबंधित आरएलडीसी द्वारा किया जाता है, इस विनियम के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझे जाएंगे;

(29) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(30) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

अध्याय 2

सामान्य

4. रजिस्ट्रीकरण : (1) उपयोक्ता आरएलडीसी या एनएलडीसी की प्रणाली प्रचालन सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्रिड पहुंच की आरंभ के लिए संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के साथ निम्नानुसार रजिस्टर होगा।

(क) ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के लिए सभी उत्पादन केन्द्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी स्वयं को इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और स्वीचिंग प्रचालनों के लिए उतरदायी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में रजिस्टर करेंगे:

परंतु यह कि जब कोई यूनिट उत्पादन केन्द्र में जोड़ा जाता है या एक घटक पारेषण प्रणाली में जोड़ा जाता है, तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके रिकार्ड को अद्‌यतन करने के लिए संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेगा;

(ख) क्रेता और विक्रेता जो ग्रिड पहुंच का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे:

(ग) ऐसे पावर एक्सचेंज और व्यापारी जो आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फार्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की संवीक्षा के बाद और आवेदन में प्रस्तुत सूचना की शुद्धता से संतुष्ट होने के बाद, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र आवेदक को रजिस्टर करेगा और आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा:

परन्तु यह कि उत्पादन कंपनियां, अनुज्ञप्तिधारी पावर एक्सचेंज, क्रेता और विक्रेता जिन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आरएलडीसी फीस एवं प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार रजिस्टर किया गया है, को इन विनियमों के अंतर्गत, यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी के साथ रजिस्टर किया माना जाएगा और उन्हें इन विनियमों के विनियम 25 के अंतर्गत यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण फीस अदा नहीं करनी होगी।

(3) उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पावर एक्सचेंज, व्यापारी, विक्रेता और क्रेता इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।

(4) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ताओं, अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों की सूची उनकी रजिस्ट्रेशन की तारीख सहित बनाए रखेंगे।

5. पूंजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) योजनाः

(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) के लिए स्कीम तैयार करेंगे। केपेक्स और रेपेक्स योजना में वर्तमान पूंजी आस्तियों के अतिरिक्त अवसंरचना के उन्नयन, आधुनिकीकरण, स्वचालन और विस्तार के लिए उपगत की जाने वाली भावी लागत को भी शामिल किया जाएगा।

(2) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए याचिका के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत करेंगेः

(क) प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा और प्रत्येक स्कीम की प्राक्कलित समापन अवधि को समायोजित करने के लिए अनुमानित व्यय, पूंजी लागत की अपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोहयता के ब्यौरों सहित 2014–19 की नियंत्रण अवधि के लिए केपेक्स;

(ख) प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा और प्रत्येक स्कीम की प्राक्कलित समापन अवधि को समायोजित करने के लिए अनुमानित व्यय, पूंजी लागत की उपयुक्तता, वित्त पोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोहयता सहित विद्यमान आस्तियों के पूंजी व्यय, विद्यमान आस्तियों का जीवन समापन, वसूल किया गया संचयी अवक्षयण, प्रतिस्थापन की तारीख तक, ऋण का संचयी पुनर्भुगतान मूल नियत आस्तियों से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बट्टे खाते के लिए रिपैक्स योजना।

(3) एक या अधिक आरएलडीसी और/या एनएलडीसी को शामिल करने वाली केपेक्स और रिपेक्स की किसी समेकित योजना के संबंध में प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी का प्रभार्य पूंजी व्यय को पृथक किया जाएगा और, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के पूंजी व्यय के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा।

अध्याय 3

फीस एवं प्रभारों के लिए आवेदन

पूंजी लागत तथा पूंजी संरचना की संगणना

6. फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदनः

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि के लिए फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 180 दिनों के अंदर इन विनियमों के परिशिष्ट I संलग्न फार्मेट में 1.4.2014 का संपरीक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित एवं उपगत तथा केपेक्स और रिपेक्स पर आधारित नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय के आधार पर आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन में निधियों के स्रोत, प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्कर, बट्टे खाते डाली गई आस्तियों के ब्यौरे तथा पूंजीकृत किए जाने वाली आस्तियों के ब्यौरे इत्यादि जैसी विशिष्टियां शामिल होंगी।

(3) आवेदन करने से पूर्व, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, उपयोक्ताओं पर आवेदन की तामील करेगा और आवेदन के साथ तामील प्रमाण प्रस्तुत करेगा। संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी इसकी याचिका के निपटान तक इसकी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को भी उपलब्ध रखेगा।

(4) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, आवेदन करने के पश्चात् 7 दिनों के भीतर उपलब्ध आवेदन की सूचना कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में होगा और एक भारतीय आधुनिक भाषा में, तथा जिसका प्रचलन उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, जहां उपयोक्ता अवस्थित हो, उसी भाषा में होगा जिसमें आवेदन की सूचना इन विनियमों के परिशिष्ट II में दिए गए फार्मेट में प्रकाशित की गई है।

(5) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, को आयोग द्वारा फीस एवं प्रभार 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार उपगत पूंजी व्यय पर आधारित और इन विनियमों के अनुसार संपरिक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रणामित केपेक्स और रेपेक्स के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय पर अनुज्ञात किए जाएंगेः

परंतु यह कि, आवेदन में उपगत पूंजी व्यय तथा केपेक्स और रेपेक्स के अनुसार उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए औचित्य एवं पूर्वानुमानों को रेखांकित करने वाले ब्यौरे शामिल होंगे।

(6) यदि आवेदन इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अधीन यथाअपेक्षित किसी संबंध में अपर्याप्त है, आवेदन आयोग के स्टाफ द्वारा उल्लिखित की गई कमियों को संशोधित करने के बाद एक महीने के अंदर याचिका के पुनःप्रस्तुत करने के लिए संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी को लौटाया जाएगा।

(7) यदि याचिका में प्रस्तुत सूचना विनियमों के अनुसार है और किए गए दावों की प्रज्ञावान जांच करने के लिए पर्याप्त है तो आयोग प्रत्यर्थियों और उपभोक्ताओं या उपभोक्ता संघ को शामिल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किए गए सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई है, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्त्ता, प्रत्यर्थियों तथा आयोग द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के बाद फीस एवं प्रभार आदेश को अवधारित करने वाला आदेश जारी करेगा।

(8) आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2014 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए पूर्ववर्ती नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित और 31.3.2014 को यथा लागू फीस एवं प्रभारों के आधार पर उपयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा।

(9) नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक लागू विनियमों के अंतर्गत फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.3.2019 को लागू एवं आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के आधार प्रयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा।

7. फीस एवं प्रभारों का अवधारण

(1) फीस एवं प्रभार प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए पृथक रूप से अवधारित होंगे:

परंतु यह कि, नियंत्रण अवधि के लिए निगमित कार्यालय व्यय को शामिल करते हुए एनएलडीसी का वार्षिक प्रभार संबंधित क्षेत्र में की गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा, जैसाकि, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट पर निर्दिष्ट किया गया है।

8. वार्षिक प्रभारों का ट्रूइंगअप

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी ट्रूइंगअप अभ्यास के लिए 31.10.2019 तक इन विनियमों के परिशिष्ट I से संबद्ध फार्मेटों में आवेदन करेगा।

(2) आरएलडीसी और एनएलडीसी लेखापरीक्षक द्वारा सम्यकतः संपरीक्षित और प्रमाणित 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय, वितपोषण के स्रोत, मानव संसाधन व्यय, प्रचालन और रखरखाव व्यय इत्यादि सहित, पूंजी व्यय के ब्यौरे ट्रूइंगअप के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(3) आयोग 31.3.2019 तक उपगत एवं ट्रूइंगअप के समय प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित अगली नियंत्रण अवधि के लिए फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन सहित ट्ररूइंगअप अभ्यास करेगा:

परंतु यह कि, यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित व्यय की ट्रूइंगअप करेगा और आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रयोक्ताओं को फीस एवं प्रभारों की अतिरिक्त वसूली वापस करेगा।

(4) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई रकम, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को यथा विद्यमान बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज सहित ट्रूइंगअप प्रयोग के बाद जारी किए गए आदेश की तारीख से 3 माह के अंदर आरंभ होने वाली 6 समान मासिक किस्तों में, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी या प्रयोक्ताओं द्वारा, वसूली या वापस की जाएगी।

9. पूंजी लागत की संगणनाः

(1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या, एनएलडीसी के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगी।

(2) पूंजी लागत निम्नलिखित पर विचार करते हुए संगणित की जाएगीः

(क) दायित्व को छोड़ते हुए यदि कोई है, सम्यक्तः ट्ररूइंगअप करते हुए 1.4.2014 को आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत;

(ख) विनियम 10 के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूंजीकरण और अव–पूंजीकरण के कारण व्यय;

(ग) नियत आस्तियों की मूल पूंजी लागत जिसे नियंत्रण अवधि के दौरान प्रतिस्थापित किया गया है उसे सम्यक्तः समायोजनकारी संचयी अवक्षयण और संचयी पुनर्भुगतान, यदि कोई है, करते हुए संबंधित तारीख से स्वीकृत पूंजी लागत से अवपूंजीकृत किया जाएगा;

(घ) संनिर्माण के दौरान ब्याज और संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय।

(ङ) परियोजना के निष्पादन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त कोई अनुदान जो कोई दायित्व या पुनर्भुगतान नहीं रखता उसे ऋण पर ब्याज की संगणना के प्रयोजन, रिटर्न आन इक्विटी और अवक्षयण के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा।

3. पूंजी लागत प्रज्ञावान जांच के बाद स्वीकार की जाएगी जिसमें पूंजी व्यय की उपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, वित्त पोषण प्रभार, विदेशी विनिमय भिन्नता के कारण कोई लाभ या हानि, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, ओवर रन लागत और टाईम ओवर रन और ऐसे अन्य मामलों की संवीक्षा शामिल है जिन्हें आयोग द्वारा उचित समझा जा सकता हैः

परंतु यह और कि संनिर्माण के दौरान ब्याज, ऋण निधि के इनफ्यूजन की तारीख से ऋण और टाइम ओवर रन के कारण आईडीसी को सम्यक्तः समायोजित करते हुए निधियों की प्रज्ञावान चरणबद्धता को ध्यान में रखने के बाद तत्समान रूप से संगणित किया जाएगाः

परंतु यह भी कि, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय टाईम ओवर रन, यदि कोई है, जमा या अग्रिमों पर ब्याज या कोई अन्य प्राप्तियां एवं विलंब के तत्समानी वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों के कारण आईईडीसी के सम्यक्तः समायोजन करते हुए प्रज्ञावन जांच के बाद संगणित किया जाएगा।

10. अतिरिक्त पूंजीकरण और अवपूंजीकरण

(1) टैरिफ अवधि के दौरान उपाप्त की जाने वाली प्रक्षेपित अतिरिक्त आस्तियों तथा पहले से सेवा में आस्तियों के लिए उपगत किए जाने के वाली प्रक्षेपित या उपगत पूंजी व्यय पूंजीकरण और अव–पूंजीकरण के लिए प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा इसके विवेकानुसार स्वीकृत की जा सकती है:

पंरतु यह कि वर्ष 2009–14 की टैरिफ अवधि के दौरान खरीदे गए औजार तथा रस्से, फर्नीचर वातानुकूलकों, वोल्टाज स्टेबलाइजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, ऊष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीनों आदि जैसी आस्तियों या लघु मदें अर्जित करने के लिए किसी व्यय को, फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार नहीं लिया जाएगा।

(2) रेपेक्स या अन्यथा के अंतर्गत आस्तियों के अवपूंजीकरण के मामले में अवपूंजीकरण की तारीख को ऐसी आस्ति की मूल लागत, इक्विटी में तत्समानी समायोजन, बकाया ऋण, इस प्रकार के अवपूंजीकरण वर्ष में अवक्षयण एवं ऋण के संचीय पुनर्भुगतान सहित सकल नियत आस्ति के मूल्य से कटौती की जाएगी।

11. ऋण इक्विटी अनुपात :

(1) वास्तविक ऋण : 31.3.2014 को समाप्त अवधि के लिए आयोग द्वारा यथा स्वीकृत ऋण इक्विटी अनुपात, यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूंजी लागत के लिए विचार में लिया जाएगा।

(2) 1.4.2014 से पूर्व उपगत पूंजी व्यय जहां ऋण इक्विटी अनुपात 31.3.2014 को समाप्त अवधि के लिए आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, वहां आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध विषय) विनियम, 2009 के विनियम 9(2) के अनुसार ऋण इक्विटी अनुपात को अवधारित करेगा।

(3) 1.4.2014 को या उसके बाद उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 के रूप में समझा जाएगा। यदि वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है वहां 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा:

परंतु यह कि :

i. जहां वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम है वहां वास्तविक इक्विटी को टैरिफ के अवधारण के लिए विचार में लिया जाएगा;

ii. विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रूपए में निर्दिष्ट की जाएगी;

iii. परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त किया गया कोई अनुदान ऋण इक्विटी अनुपात के प्रयोजन के लिए पूंजी संरचना के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण : परियोजना के निधियन के लिए शेयर पूंजी जारी करते समय ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा प्रोद्भूत कोई प्रीमियम, यदि कोई हो और अपनी मुक्त आरक्षिति से सृजित आंतरिक संसाधनों का विनिधान तो इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा परंतु यदि ऐसी प्रीमियम रकम तथा आंतरिक संसाधनों का वास्तव रूप में उपयोग आरएलडीसी के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता हो।

12. एलडीसी विकास निधि :

(1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, पूंजी व्यय को प्रशासित करने के लिए भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (एलडीसीडी निधि) नामक पृथक निधि को सृजित तथा बनाए रखेगी।

(2) रिटर्न आन इक्विटी के मद्दे प्रभार, ऋण पर ब्याज, रजिस्ट्रीकृत फीस सहित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र एवं राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के अवक्षयण सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसीडी निधि में जमा किए जाएंगेः

परंतु यह कि अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार एवं आरएलडीसी या एनएलडीसी की अन्य आय, यदि कोई है, एलडीसीडी निधि का भाग नहीं होगी।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी नई आस्तियों के सृजन, ऋण प्रतिसंदाय ब्याज तथा लाभांश संदाय के रूप में उद्भूत पूंजी की सर्विसिंग, आस्ति सृजन में अनुबंध इक्विटी भाग को पूरा करने तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए मार्जिन धन और अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए एलडीसीडी निधि में जमा धन का उपयोग करने के लिए हकदार होगी।

(4) एलडीसीडी निधि का किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, मानव संसाधन व्ययों सहित राजस्व व्यय की पूर्ति में कमी की स्थिति में ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी एलडीसीडी निधि से ब्याज मुक्त अग्रिम के लिए हकदार होगी जिसे नियंत्रण अवधि 2014–19 की समाप्ति के बाद किए जाने वाले ट्रूइंगअप के समय संबंधित शीर्षों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमत्त व्यय से पूरा किया जाएगा।

(5) एलडीसीडी में जमा किए गए धन में से ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा सृजित कोई आस्ति इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज तथा अवक्षयण पर उसी सिद्धान्त पर संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा जैसाकि अनुदान के मामले में किया जाता है। ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, केपेक्स योजना में इस प्रकार की आस्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।

(6) पोसोको, स्रोतों के ब्रेकअप के साथ जहां से निधि प्राप्त हुई है एलडीसी विकास निधि में संचित रकम को प्रस्तुत करेगा। आयोग, प्रत्येक वर्ष एलडीसी विकास निधि की समीक्षा करेगा और यदि अपेक्षित हो तो निधियों के प्रभावी प्रयोग के लिए पोसोको को निर्देश जारी करेगा।

अध्याय – 4

आरएलडीसी फीस और प्रभार संरचना

13. आरएलडीसी फीस और प्रभारों के संघटक : (1) आरएलडीसी फीस और प्रभार में ग्रिड पहुंच के आरंभ और अनुसूचीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऊर्जा प्रचालन कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस तथा प्रयोक्ताओं से प्रणाली प्रचालन और बाजार प्रचालन के रूप में वसूल किए जाने वाले वार्षिक प्रभारों को समाविष्ट किया जाएगा।

14. वार्षिक प्रभार : वार्षिक प्रभारों में प्रणाली प्रचालन कृत्य के व्यय के तत्समानी वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभार और बाजार प्रचालन कृत्य के व्यय के तत्समानी वार्षिक बाजार प्रचालन प्रभारों को शामिल किया जाएगा। वार्षिक प्रभारों को वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभारों और वार्षिक बाजार प्रचालन प्रभारों में 70:30 के अनुपात में पृथक किया जाएगा। वार्षिक प्रभारों में निम्नलिखित संघटक होंगे, अर्थात् :–

(क) रिटर्न आन इक्विटी
(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज
(ग) अवक्षयण
(घ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे(मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)
(ङ) मानव संसाधन खर्चे
(च) एनएलडीसी प्रभार तथा निगमित कार्यालय खर्चे, और
(छ) कार्य पूंजी पर ब्याज

15. **प्रणाली प्रचालन प्रभार** – प्रणाली प्रचालन प्रभार अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन केन्द्रों, विक्रेताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं क्रेताओं के लिए पृथक रूप से निम्नानुसार व्युत्पन्न किया जाएंगे।

(क) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभार वार्षिक प्रणाली प्रचालन के 10 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के स्वामित्वाधीन लाइनों के सीकेटी किलोमीटर के आधार पर निकाला जाएगाः

(ख) अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्र एवं विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभार वार्षिक प्रणाली प्रचालनों के 45 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें विक्रेताओं के मामले में दीर्घकालिक तथा/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर तथा उत्पादन केन्द्र के मामले में संस्थापित क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभारों के 45 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किया जाएगा और इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में कुल आवंटित क्षमता एवं संविदात्मक क्षमताओं के आधार पर एवं क्रेता के मामले में दीर्घकालिक और/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

16. बाजार प्रचालन प्रभार : उत्पादन केन्द्रों और विक्रेताओं, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं द्वारा बाजार प्रचालन प्रभार अनुसूचीकरण के लिए कुल क्षमताओं के आधार पर निकाले जाएंगे।

अध्याय 5

वार्षिक प्रभारों की संगणना

17. इक्विटी पर रिटर्न

(1) इक्विटी पर रिटर्न, इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर रुपए में संगणित की जाएगी।

(2) इक्विटी पर रिटर्न, इस विनियम के उपखंड (3) के अनुसार सकलित की जाने वाली 15.50 प्रतिशत की पूर्व कर आधार दर पर संगणित की जाएगी।

(3) इक्विटी पर रिटर्न की दरऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वित्तीय वर्ष 2014—15 की प्रभावी कर दर के साथ आधार दर को सकलित करते हुए संगणित की जाएगीः

परंतु यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वास्तविक कर दर के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न नियंत्रण अवधि के अंत में ट्रयूअप किया जाएगा।

(4) इक्विटी पर रिटर्न की दर 3 डेसीमल बिन्दुओं तक पूर्णांकित की जाएगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगीः—

इक्विटी पर कर पूर्व रिटर्न की दर — आधार दर/(1—टी)
जहां 'टी' उपखंड (3) के अनुसार प्रभावी कर दर है।

18. ऋण पूंजी पर ब्याज

(1) विनियम 11 के अनुसार अवधारित ऋण को ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा।

(2) 1.4.2014 को अनुसार बकाया मानकीय ऋण सकल मानकीय ऋण से 31.3.2014 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

(3) नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के लिए पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के बराबर समझा जाएगा। आस्तियों के अवपूंजीकरण के मामले में, पुनर्भुगतान समानुपातिक आधार पर संचयी पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा और समायोजन ऐसी आस्ति के अवपूंजीकरण की तारीख तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण से अधिक नहीं होना चाहिए।

(4) ब्याज की दर, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को लागू प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों के आधार पर संगणित भारित औसत ब्याज दर होगीः

परंतु यह कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु सामान्य ऋण अभी भी बकाया है तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगाः

परंतु यह और कि यदि किसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाएगा।

(5) ऋण पर ब्याज को ब्याज की भारित औसत दर लागू करते हुए वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर संगणित की जाएगी।

(6) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ब्याज पर शुद्ध बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनर्वित्त का प्रत्येक प्रयास करेगी और उस स्थिति में इस प्रकार के पुनर्वित्त से संबद्ध लागत प्रयोक्ताओं द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचतें प्रयोक्ताओं तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बीच 2:1 के अनुपात में शेयर की जाएंगी। ऋणों के निबंधन और शर्तों में परिवर्तनों ऐसे पुनर्वित्त की तारीख से प्रतिबिम्बित किया जाएगा।

(7) विवाद के मामले में, कोई पक्षकार विवाद के निपटान के लिए उसके सांविधिक पुनार्धिनियमन सहित समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 के अनुसार आवेदन कर सकता हैः

परंतु यह कि, प्रयोक्ता ऋण के पुनर्वित्त से उद्भूत किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान प्रयोक्ताओं और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दावा किए गए ब्याज के कारण कोई भुगतान नहीं रोकेगा।

19. अवक्षयण

(1) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगी।

(2) आस्तियों का साल्वेज मूल्य (आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर को छोड़कर) 10 प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और आस्ति के पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा। आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर के लिए साल्वेज मूल्य को शून्य समझा जाएगा और आस्ति का 100 प्रतिशत मूल्य अवक्षयणीय समझा जाएगा।

(3) भूमि अवक्षयणीय आस्ति नहीं होगी और इसकी लागत आस्ति के पूंजी लागत के अवक्षयणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित की जाएगी।

(4) अवक्षयण, स्ट्रेट लाइन पद्धति और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट III में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।

(5) पूर्णतया अवक्षयित आस्तियों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(6) उन आस्तियों, जो प्रयुक्त नहीं हैं, या अप्रचलित घोषित की गईं हैं के मूल्य को अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से बाहर रखा जाएगा।

(7) 1.4.2014 को शेष अवक्षणीय मूल्य संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी की लेखा बहियों में प्रस्तुत आस्तियों के सकल अवक्षणीय मूल्य से संचयी अवक्षयण की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

(8) संबंधित आरएलडीसी के संबंध में आस्तियों के अवपूंजीकरण के मामले, में संचयी अवक्षयण इसकी उपयोगी सेवाओं के दौरान अवपूंजीगत आस्ति द्वारा टैरिफ में वसूल किए गए अवक्षयण को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा।

20. प्रचालन और रखरखाव खर्चें:

(1) प्रचालन और रखरखाव खर्चें (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर), संपरीक्षित तुलन पत्रों के आधार पर वर्ष 2009–10 से 2013–14 वर्षों के लिए वास्तविक प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। प्रचालन और रखरखाव खर्चें आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव खर्चें, दान, मालसूची में हानि, अवधि पूर्व समायोजन, बट्टेखाते डाले गए दावे तथा अग्रिम, प्रावधानों इत्यादि, यदि कोई हों, को छोड़कर सामान्यकृत किए जाएंगे।

(2) वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत प्रचालन और (रखरखाव खर्चों में) क्रमशः 2013–14 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए 5.72 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी और फिर 2013–14 के कीमत स्तर पर 2009–10 से 2013–14 के लिए सामान्यकृत औसत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत होंगे। 2013–14 की कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड (4) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर वृद्धि होगी ताकि वर्ष 2014–15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चें निकाले जा सकें।

(3) वर्ष 2014–15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड 4 के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि होगी ताकि नियंत्रण अवधि के पश्चात् वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन और रखरखाव खर्चें प्राप्त किए जा सकें।

(4) वृद्धि दर संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रास्फीति दर, ओएंडएम खर्चों के सुव्यवस्थीकरण और अन्य घटकों, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।

(5) प्रज्ञावान जांच के बाद स्काडा प्रणाली की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वास्तविक व्यय वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान प्रचालन और रखरखाव खर्चे प्राप्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

21. **मानव संसाधन खर्चें :** (1) मानव संसाधन खर्चें, संपरीक्षित तुलन पत्रों पर आधारित 2009–10 से 2013–14 वर्ष के लिए वास्तविक मानव संसाधन खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। मानव संसाधन खर्चें आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य मानव संसाधन खर्चों एक्सग्रेशिया, वीआरएस व्यय, अवधिपूर्व समायोजन, दावे और बट्टे खाते डाले गए दावे और अग्रिम, प्रावधान इत्यादि, यदि कोई हो, को अपवर्जित करते हुए सामान्यकृत किए जाएंगे।

परंतु यह कि डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार संगणित कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन को इन विनियमों के विनियम 29 के उपखंड (5) के अनुसार अनुज्ञात प्रोत्साहन से पूरा किया जाएगा।

(2) वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में क्रमशः 5.72 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी ताकि 2013–14 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचा जा सके और तब 2013–14 के कीमत स्तर पर वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लिए सामान्यकृत औसत मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत हों सकें।

(3) वर्ष 2013–14 के दौरान अनुमोदित मानव शक्ति वर्ष 2014–15 के लिए मानव संसाधन खर्चों की संगणना के लिए आधार होगी। उसके बाद पश्चातवर्ती वर्षों के लिए, मानव संसाधन खर्चों में वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि होगी।

(4) वर्ष 2013–14 के कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में वृद्धि, वर्ष 2014–15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों के लिए इस विनियम के खंड (6) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर होगी।

(5) वर्ष 2014–15 के लिए मानव संसाधन खर्चों में नियंत्रण अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचने के लिए इस विनियम के खंड (6) के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि की जाएगी :

परंतु यह कि 01.01.2017 से आगे मानव संसाधन खर्चों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी लागत में 50 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने के बाद सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चें निकाले जा सकें।

(6) वृद्धि दर, संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रा स्फीति दर, मानव संसाधन एवं अन्य घटकों के सुव्यवस्थीकरण, यदि कोई हैं, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।

(7) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की मानव शक्ति में प्रत्याशित वृद्धि की लागत पर भी प्रज्ञावान जांच के बाद विचार किया जाएगा।

22. कार्य पूंजी पर ब्याज

(1) कार्य पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) एक मास के लिए प्रचालन एवं रखरखाव खर्चें (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)
(ii) एक मास के लिए मानव संसाधन खर्चें ।
(iii) एक मास के लिए एनएलडीसी प्रभार।
(iv) आयोग द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक प्रभारों के दो मास के समतुल्य प्राप्य।

(2) कार्य पूंजी पर ब्याज दर मानकीय आधार पर होगी और 01.04.2014 को यथाविद्यमान बैंक दर के रूप में मानी जाएगी।

(3) कार्य पूंजी पर ब्याज इस बात के होत हुए भी मानकी आधार पर संदेय होगा कि ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्य पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है।

23. एनएलडीसी प्रभार और निगमित कार्यालय खर्चें :

(1) लागू सीमा तक एनएलडीसी प्रभारों को, कार्य पूंजी पर ब्याज को छोड़कर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के वार्षिक प्रभारों की संगणना के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति का अनुपालन करते हुए संगणित किया जाएगा।

(2) उपगत वास्तविक खर्चों के अनुसार संगणित निगमित कार्यालय खर्चों को प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) एनएलडीसी के सभी खर्चों और आयोग द्वारा अनुमोदित निगमित कार्यालय खर्चों को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट में यथानिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र में दी गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा।

24. आकस्मिक खर्चें (1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार तथा आरईसी प्रभारों आदि जैसी अन्य आय के लिए पृथक लेखा रखेगी।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ऐसी आय का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में कमी की पूर्ति के लिए, यदि कोई है, या आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए जिसे फीस और प्रभारों के लिए आवेदन करते समय नहीं देखा गया था और दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिए आवश्यक समझा गया है, करेगी।

(3) शेष रकम, सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसी विकास निधि मे जमा कराई जाएगी।

अध्याय 6

फीस की संगणना और भुगतान, प्रणाली प्रचालन और बाजार प्रचालन प्रभार

25. रजिस्ट्रीकरण फीस : फीस बाजार प्रचालन के लिए अनुसूचीकरण के आरंभ एवं प्रणाली प्रचालन के लिए ग्रिड पहुंच के आरंभ से पूर्व पावर एक्सचेंजों और विद्युत व्यापारियों सहित प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय होगी। संदेय फीस निम्नानुसार है:

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड पहुंच के आंरभ के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 लाख रुपए की एक बार रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।

परंतु यह कि संबंधित आरएलडीसी को ग्रिड के साथ समक्रमिक पारेषण घटकों की अभिवृद्धियों के बारे में अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा और अतिरिक्त क्षमता टाईअप के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित आरएलडीसी द्वारा रिकार्ड को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए समय समय पर सूचित किया जाएगा।

(2) उत्पादन कंपनियां निम्नानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगी:

क. 10 मेगावाट संस्थापित क्षमता तक उत्पादन केन्द्र के लिए : 0.50 लाख रुपए;

ख. 10 मेगावाट से अन्यून तथा 100 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र : 1.0 लाख रुपए;

ग. 100 मेगावाट से अन्यून और 2000 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र: 5.0 लाख रुपए; और

घ. 2000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र : 10.0 लाख रुपए :

परंतु यह कि, उत्पादन केन्द्र या उसके चरण की समग्र क्षमता पर, जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखा पृथक रूप में किया गया है, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय पर रजिस्ट्रीकरण फीस के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

परंतु यह और कि उत्पादन कंपनियां उत्पादन केन्द्र या उसके चरण के मामले में कमीशन की गई अतिरिक्त क्षमता के बारे में संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेंगी।

(3) अंतरराज्यिक ब्यापार अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता और क्रेता बाजार प्रचालन के अनुसूचीकरण को आरंभ करने के लिए आवेदन आवदेन पत्र के साथ 10000/– रुपए(दस हजार रुपए मात्र) की एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगे।

(4) पावर एक्सचेंज एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 20.0 लाख (बीस लाख रुपए) का संदाय करेंगे।

26. **प्रणाली प्रचालन प्रभारों की संगणना और भुगतान** (1) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएंगीः

एसओसी(पारेषण)=(10%) {(70%xएएफसी / (सीकेटी_केएम)} / 12

जहां, एएफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार ;

सीकेटी_केएम = बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को कुल अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों की लंबाई :

परंतु यह कि वैयक्तिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को उक्त अवधारित दरों के आधार पर संगणित किया जाएगा और संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा प्रचालित पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी_केएम) में संगणित की जाएगी।

2. उत्पादन कंपनियों और विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएगी।

एसओसी(उत्पादन या विक्रेता) =(45%)(70%x एएफसी / आईसी) / 12

जहां

एएफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार ;

आईसी = उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता और विक्रेताओं की संविदात्मक क्षमता जिनका अनुसूचीकरण और ऊर्जा लेखा बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया हैः

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनियों या विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को उक्त निर्धारित दरों के और उत्पादन केन्द्र या विक्रेताओं की संबंधित क्षमता के आधार पर संगणित किया जाएगा।

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा क्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार कुल संविदात्मक क्षमता को ध्यान में रखने के बाद मासिक आधार पर वसूल की जाएगीः

एसओसी(वितरण या क्रेता) = (45%)(70% x एएफसी / (सीसी) / 12

जहां

एएफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार ;

सीसी = वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं द्वारा कुल दीर्घकालिक या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता जिसका अनुसूचीकरण और लेखा बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया हैः

परंतु यह कि, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा क्रेताओं से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को उनके, यथास्थिति, आवंटनों तथा संविदात्मक क्षमताओं की धनराशि के अनुपात में संगृहित किए जाएंगे।

4. संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों के संग्रहण के लिए नोडल एजेंसी होगी यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में पारस्परिक करार कर लेते हैं। प्रणाली प्रचालन प्रभारों के निष्पादन के बाद, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के खाते में उसे जमा करेंगे।

27. **बाजार प्रचालन प्रभारों की संगणना और भुगतान :** (1) उत्पादन केन्द्रों, विक्रेताओं, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, और क्रेताओं के लिए बाजार प्रचालन प्रभारों को वार्षिक आधार पर संगणित किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सीटीयू या अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को हिसाब में लेने के बाद मासिक आधार पर वसूल किया जाएगाः

एमओसी (अनुसूचीकरण) = 0.5% x(30%)x (एएफसी / (सीसी)) / 12

जहां,

एएफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार;

सीसी = बिलिंग अवधि के संबंधित मास के अंतिम दिन को सीटीयू या अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई कुल दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच।

(2) संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य में बाजार प्रचालन प्रभारों के संग्रहण के लिए नोडल एजेंसी होगी यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में पारस्परिक करार कर लेते हैं। संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की ओर से राज्य के अंदर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से बाजार प्रचालन प्रभारों का संग्रहण करेगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के खाते में जमा करेगा।

28. **राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार और निगमित कार्यालय खर्चें**

आयोग द्वारा यथाअनुमोदित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और निगमित कार्यालय के सभी खर्चों को संबंधित क्षेत्रों में दी गई मांग के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों में संविभाजित किया जाएगा।

अध्याय 7

कार्यनिष्पादन संकेतक

29. आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रोत्साहन की वसूली परिशिष्ट V में या आयोग द्वारा विहित ऐसे अन्य पैरामीटरों में यथाविनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक की उपलब्धि पर आधारित होगी।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र परिशिष्ट V में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार वार्षिक आधार पर आयोग को प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों के लिए इसके वार्षिक कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करेगा।

(3) एनएलडीसी, आयोग के अनुमोदन के लिए पद्धति सहित परिशिष्ट V मे विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग परिशिष्ट V में विनिर्दिष्ट भारित के आधार पर, यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, के समुच्चय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करेगा। आयोग, यदि अपेक्षित हो, प्रणाली प्रचालक के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह की ईप्सा कर सकता है।

(5) यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी को 1.4.2014 से आरंभ होने वाले 3 वर्षों के लिए 85 प्रतिशत के कुल कार्यनिष्पादन स्तर के लिए और 1.4.2017 से 90 प्रतिशत के कुल कार्यनिष्पादन स्तर के लिए वार्षिक प्रभार के 7 प्रतिशत के प्रोत्साहन को वसूल करना अनुज्ञात किया जाएगा। इस प्रोत्साहन में उक्त 90 प्रतिशत के कार्यनिष्पादन के ऊपर प्रत्येक 5 प्रतिशत वृद्धि के लिए वार्षिक प्रभारों के 1 प्रतिशत तक वृद्धि होगीः

परंतु यह कि प्रोत्साहन में, 85 प्रतिशत के नीचे कार्यनिष्पादन की प्रत्येक 3 प्रतिशत कमी के लिए समानुपातिक रूप में वार्षिक प्रभारों के 1 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।

(6) आरएलडीसी या एनएलडीसी, 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को संगणित करेंगे और इन विनियमों के परिशिष्ट V और परिशिष्ट VI के अनुसार आयोग के अनुमोदन के लिए याचिकाओं के साथ आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

परंतु यह कि 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को प्रत्येक वर्ष को प्रोत्साहन वसूल करने के लिए विचार किया जाएगा और नियंत्रण अवधि के अंत में ट्रयूअप किया जाएगा।

30. आरएलडीसी और एनएलडीसी के कर्मचारियों को प्रमाणन संबद्ध प्रोत्साहन : (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के कर्मचारियों को, जो अपने संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्रों में बुनियादी स्तर और विशेषज्ञता स्तर का प्रमाण पत्र अर्जित करते हैं और प्रणाली प्रचालन या बाजार प्रचालन में नियोजित किए जाते हैं, निम्नलिखित पैरामीटरों के अनुसार इस प्रकार के प्रमाण पत्र अवधि चालू रहने के दौरान नियत प्रोत्साहन की अनुमति होगीः

क्र.स.	प्रमाणन स्तर	नियत प्रोत्साहन(रुपए में रकम) (मासिक)
1.	बुनियादी स्तर	5000
2.	विशेषज्ञता स्तर	7500

(2) प्रमाणन संबद्ध प्रोत्साहन विनियम 29 में यथाविनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।

अध्याय 8
<u>बिलिंग एवं अन्य प्रकीर्ण उपबंध</u>

31. बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतान : (1) बिलों को इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा मासिक आधार पर प्रणाली प्रचालन प्रभार और बाजार प्रचालन प्रभार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और भुगतान प्रयोक्ताओं द्वारा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

2) आरएलडीसी/एनएलडीसी फीस एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार चूक आयोग के नोटिस में लाई जाएगी।

32. **विलंब से भुगतान पर अधिभार** : यदि इन विनियमों के अंतर्गत संदेय प्रभारों के लिए किसी बिल के भुगतान में बिलिंग की तारीख से 60 दिनों की अवधि के आगे प्रयोक्ता द्वारा विलंब होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर पर विलंब भुगतान पर अधिभार प्रयोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

33. **हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार की वसूली :** हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार की वसूली आयोग के समक्ष किसी आवेदन के बिना प्रयोक्ताओं से आरएलडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगीः

परंतु यह कि हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा किसी आपत्ति की स्थिति में आरएलडीसी निर्णय के लिए आयोग के समक्ष समुचित आवेदन कर सकता है।

34 छूटः बिलों के जारी होने की तारीख से 7वें दिन तक (अर्थात टी+6 दिन) (जहां टी बिल जारी होन की तारीख है) तक आरटीजीएस, एनईएफटी, साखपत्र या चैक के माध्यम से चुकाई गई सकल बिल रकम पर आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा दो प्रतिशत की छुट अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) एक प्रतिशत की छूट की तब अनुज्ञात होगी जब भुगतान, बिल के जारी होने से टी+7 से टी+30 दिनों तक किया गया हो।

(iii) बिलों के जारी होने की तारीख से टी+31 दिनों से टी+60 दिनों तक किए गए भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

35. **शिथिल करने की शक्ति :** लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, आयोग स्वयं या एनएलडीसी/आरएलडीसी/प्रयोक्ताओं द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित होने के लिए संभावित व्यक्तियों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

36. **कठिनाई को दूर करना :** यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है जो अधिनियम या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियम के उपबंधों के असंगत न हों तथा इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

हस्ता/–
(एम.के.आनंद)
प्रमुख(वित्त)

टैरिफ फाइल करने के फार्म(एनएलडीसी/आरएलडीसी)

अनुक्रमणिका

एनएलडीसी / आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप और अन्य जानकारी / दस्तावेजों की जांच–सूची

प्ररूप संख्या	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (आरएलडीसी)	टिक
प्ररूप–1	सारांश शीट	
प्ररूप–2	टेरिफ की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर	
प्ररूप–3	1.4.2019 को स्वीकृत पूंजी लागत का सार	
प्ररूप–4क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और केपेक्स और रेपेक्स को आरंभ करने की अनुसूची का सार	
प्ररूप–4ख	पूंजी लागत के तत्ववार ब्यौरे	
प्ररूप–4ग	संनिर्माण / प्रदाय / सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप–4घ	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप–4ङ	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप–4च	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप–4छ	चालू पूंजी संकर्म का विवरण	
प्ररूप–4ज	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप–4झ	विदेशी इक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप–5क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप–5ख	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना'	
प्ररूप–5ग	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप–5घ	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप–5ङ	विभिन्न आरएलडीसी को कारपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप–6क	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप–6ख	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप–7क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे	
प्ररूप–7ख	मानव संसाधन के ब्यौरे	
प्ररूप–7ग	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप–7घ	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप–8	कार्य पूंजी पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप–9	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची	
प्ररूप–10	वास्तविक नकद व्यय	
प्ररूप–11	एलडीसी विकास निधि का वर्षवार विवरण(प्रोजेक्टिड)	
प्ररूप–10	अन्य आय	
अन्य जानकारी / दस्तावेज		
क्र.स.	**जानकारी / दस्तावेज**	**टिक**
1.	आरएलडीसी और एनएलडीसी / निगमित कार्यालय के लिए सभी अनुसूचियों और अनुबंध सहित संपरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते।	
2.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियां	
3.	क) पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की	

	प्रतियां ख) बोर्ड के अनुमोदन, प्राक्कलित पूंजी लागत और औचित्य सहित केपेक्स एवं रेपेक्स योजना।	
4.	क) विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां ख) बोर्ड के अनुमोदन सहित एलडीसी विकास निधि से ईक्विटी अंशदान	
5.	व्यष्टिक परियोजनाओं और स्कीमों, यदि लागू हो, की अधिक लागत और समय के कारणों को बताते हुए विस्तृत टिप्पण	
6.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण:1 याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (वर्ड्स फारमेट में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट में) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

प्ररूप – 1

सारांश शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियां	प्ररूप नं.	वर्तमान 2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	रिटर्न आन ईक्विटी							
2.	ऋण पूंजी पर ब्याज							
3.	अवक्षयण							
4.	प्रचालन और रख रखाव खर्चे, मानव संसाधन को छोड़कर							
5.	मानव संसाधन खर्चे							
6.	एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्चे							
7.	कार्य पूंजी पर ब्याज							
	कुल							

[1] संगणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार की गई इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं।

(याचिकाकर्त्ता)

प्ररूप—2

वार्षिक प्रभारों की संगणना करने के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम :

विशिष्टियां	यूनिट	यथा विद्यमान	नियंत्रण अवधि				
		2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ईक्विटी पर रिटर्न की आधार दर	%						
कर दर	%						
कार्य पूंजी के लिए मास में प्राप्य	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में ओएंडएम खर्चें, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में मानव संसाधन खर्चें	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में एनएलडीसी प्रभार	मास में						
(तारीख)को भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर	%						

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप–3

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
……………..को स्वीकृत पूंजी लागत	
(केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सुसंगत आदेश का याचिका सं0 और तारीख सहित संदर्भ)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार की गई विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रुपए करोड़ में)	

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप–4क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

नई परियोजना

पूंजी लागत प्राक्कलन

पूंजी लागत प्राक्कलन को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
पूंजी लागत प्राक्कलनों के अनुमोदन की तारीख		
	वर्तमान दिन लागत	**संपूर्ण लागत**
अनुमोदित प्राक्कलनों का कीमत स्तर	........................वर्ष............ तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार की गई विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर। (रुपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस$ या सुसंगत मुद्रा में)		

घरेलू संघटक (रुपए करोड में)		
कुल आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत (रुपए करोड़ में)		
विचार किए गए करों और शुल्कों की दर		
पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है (रुपए करोड़ में)		
आस्तियों की कमीशनिंग की अनुसूची		

टिप्पणः

1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. पूंजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 4ख या 4ग के अनुसार दिए जाने है।
3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 9 के अनुसार दिए जाने हैं।

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप – 4ख

पूंजी लागत के तत्ववार ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

क्र.स.	ब्रेक डाउन	लागत करोड़ रुपए में			परिवर्तन	परिवर्तन के कारण	स्वीकृत लागत
		मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार	दायित्व/उपबंध			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3–4–5)	(7)	(8)
क.	प्रारंभिक संकर्म तथा भूमि						
1.1	डिजाइन तथा इंजीनियरिंग						
1.2	भूमि						
1.3	स्थल तैयारी						
1.0	कुल आरंभिक संकर्म एवं भूमि						
ख	सिविल संकर्म						
2.1	नियंत्रण कक्ष तथा कार्यालय भवन जिसमें एचवीएसी भी है						
2.2	टाउनशिप तथा कालोनी						
2.3	सड़कें तथा जल निकासी						
2.4	संरचना के लिए नींव						
2.5	प्रकीर्ण सिविल संकर्म						
2.0	कुल सिविल संकर्म						
ग.	उपस्कर						
3.1							
3.2							

3.3							
3.0	कुल उपस्कर						
घ	पुर्जे						
4.1							
4.2							
4.3							
4.0	कुल पुर्जे						
ङ	कर और शुल्क						
5.1	सीमा शुल्क						
5.2	अन्य कर और शुल्क						
5.0	कुल कर और शुल्क						
च	संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय						
6.1	स्थल पर्यवेक्षण एवं स्थल प्रशासन आदि						
6.2	औजार और संयत्र						
6.3	संनिर्माण बीमा						
6.0	कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय						
छ	मुख्य शीर्ष						
7.1	स्थापना						
7.2	संपरीक्षा और लेखा						
7.3	आकस्मिक						
7.0	कुल मुख्य शीर्ष						
8.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग						

	लागत को छोड़कर, पूंजी लागत						
ज	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत						
9.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)						
9.2	वित्तीय प्रभार(एफसी)						
9.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)						
9.4	हेजिंग लागत						
9.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी, और हेजिंग लागत का योग						
10.0	पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है।						

टिप्पणः
अधिक समय और लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए और चाहे अधिक समय और लागत ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के नियंत्रण से परे हों या नहीं प्रस्तुत करना चाहिए।

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप–4ग

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों का ब्यौरा

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

क्र.स.	नाम/संनिमर्ण सं/प्रदाय/सेवा पैकेज	कार्य की परिधि[1] (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/डीसीबी/विभागीय/निक्षेप कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है और प्राप्त बोलियों की संख्या	प्राप्त बोली की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य आरंभ करने की जारीख	कार्य पूरा करने की तारीख	कार्य का मूल्य[2](रुपए करोड़ में)	कीमत में फर्म या वृद्धि सहित	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो तक वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)	कर तथा शुल्क और आईईडीसी	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत	उप जोड़

[1] किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि को संभावित सीमा तक प्ररूप 4ख में लागत ब्यौरों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

[2]. यदि यहां कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किया जाना हो तो उसे करैन्सी, विनिमय दर और तारीख सहित अर्थात 1.4.2009 की तरह रुपए 80 करोड़ + यूएस$50मि= यूएस $पर 320 करोड रुपए = 48 रुपए को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

1.4.2014 को परियोजना लागतः

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

(लाख रुपए में)

	यथाअनुमोदित वित्तीय पैकेज		1.4.2014 को वित्तीय पैकेज		1.4.2014 को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण – 1	यूएस $	200एम				
ऋण – 2						
ऋण – 3						
और उससे आगे						
ईक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल ईक्विटी						
उधारः ईक्विटी अनुपात						

[1]अर्थात् यूएस $ 200 मि + 400 करोड़ रुपए या 1 यूएस $ = 48 रु0 की विनिमय दर पर 1360 करोड़ रुपए जिसमें यूएस 200 मि. भी है [2]वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्राय आरएलडीसी का वाणिज्यिक प्रचालन है। [3]उदाहरणार्थः यूएस$ 200 मि आदि।

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप–4ङ

1.4.2014 के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

एनएलडीसी / आरएलडीसी..

क्र.स.	वर्ष	1.4.2014 के बाद जोड़े जाने वाले प्रस्तावित कार्य / उपस्कर	पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	प्रस्ताव के अनुसार न्यायोचित	वह विनियम जिसके अधीन सम्मिलित है	स्वीकृत लागत[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कुल						

[1]यदि परियोजना पूरी कर ली गई है तथा पहले ही कोई टैरिफ अधिसूचना जारी कर दी गई है तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही जारी टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रयोजन के लिए यथास्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 7 भरें(टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)

टिप्पण:

1. प्ररूप को क्रमानुसार वर्षावार भरें जिसमें फायदाग्राहियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का विस्तृत ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शित हो।

2. यदि आरंभिक पूर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक् रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए।

यचिकाकर्त्ता

प्ररुप–4च

पूंजी लागत का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम...

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ (क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त अ (क) में सम्मिलित आइडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आइडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ)	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ (क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ (क) में सम्मिलित आइडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आइडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ (क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ (क) में सम्मिलित आइडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ (क) में सम्मिलित आइइडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(याचिकाकर्त्ता)

प्ररुप 4छ

चालू पूंजी संकर्म का विवरण

एनएलडीसी / आरएलडीसी का नाम......................................

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड़/समायोजन	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आस्ति का पूंजीकरण/अंतरण	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीख से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ और समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप 4ज

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नामः ....

(रुपए लाख में)

	प्रक्षेपित/वास्तविक					स्वीकृत				
वित्तीय वर्ष (1.4.2014 से आरंभ)	वर्ष1[1]	वर्ष2	वर्ष3	वर्ष4	वर्ष5 और उससे आगे	वर्ष1	वर्ष2	वर्ष3	वर्ष4	वर्ष5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/उपस्कर में पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण–1										
ऋण–2										
ऋण–3 और उनसे आगे										
कुल ऋण[2]										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

1. वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष हैं।
2. अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररुप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप – 4झ

विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे

(केवल ईक्विटी इंफ्यूजन के संबंध में ब्यौरे यदि याचिका के अंतर्गत परियोजना के लिए कोई लागू है।)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	वर्ष				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		तारीख	**रकम (विदेशी मुद्रा)**	**विनिमय दर**	**रकम (रु)**	**तारीख**	**रकम (विदेशी मुद्रा)**	**विनिमय दर**	**रकम (रु)**	**तारीख**	**रकम (विदेशी मुद्रा)**	**विनिमय दर**	**रकम (रु)**
	मुद्रा1[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													
ख	**मुद्रा2**[1]												
1													
2													
	मुद्रा3[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													
ख	**मुद्रा4[1] और उससे आगे**												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													

[1] मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डीएम आदि। [2] वर्ष के दौरान एक से अधिक बार ईक्विटी इंफ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इंफ्यूजन की तारीख पर विनिमय दर दी जाए।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप–5क

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम...

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4	5	6	7
सकल मानकीय ऋण – आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण – आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण– अंतिम						
औसत मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप–5ख

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना[1]

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम...

(रुपए लाखों में)

क्र. स.	विशिष्टियां	वर्तमान 2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
	2	3	4	5	6	7	7
	ऋण –1						
	सकल ऋण– आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण–आरंभिक						
	जोड़ः वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएंः वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण– अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
	ऋण–2						
	सकल ऋण– आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण–आरंभिक						
	जोड़ः वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएंः वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण– अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
	ऋण –3 और उससे आगे						
	सकल ऋण– आरंभिक						

	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण–आंरभिक						
	जोड़ः वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएंः वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण– अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण						
	सकल ऋण– आरंभिक						
	पिछले वर्षों तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण–आंरभिक						
	जोड़ः वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएंः वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण– अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, मूल मुद्रा की संगणना भी इसी प्ररुप में पृथक रुप से प्रस्तुत की जानी है।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप—5ग

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

1.4.2014 को विनिमय दर

(रकम लाखों में)

क्र.स.	वित्तीय वर्ष (1.4.2014 से आरंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)
	मुद्रा1[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख.	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा2[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												

4	**वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर**												
ख.	**हेजिंग की दशा में**[3]												
1	**हेजिंग की तारीख पर**												
2	**हेजिंग की अवधि**												
3	**हेजिंग की लागत**												
	मुद्रा3[1] **और उससे आगे**												
क.1	**निकासी की तारीख पर**[2]												
2	**मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख**												
3	**ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख**												
4	**वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर**												
ख.	**हेजिंग की दशा में**[3]												
1	**हेजिंग की तारीख पर**												
2	**हेजिंग की अवधि**												
3	**हेजिंग की लागत**												

1. मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डीएम आदि में उल्लिखित किया जाना है।
2. वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है।
3. वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, समर्थनकारी दस्तावेजों सहित दिए जाने है।

नोट : 1) यथा लागू कर (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित हैं, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप – 5घ

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

एलएलडीसी / आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज 1	पैकेज2	पैकेज3	पैकेज 4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत[1]						
मुद्रा[2]						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009 / वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम [3,4,5,13,15]						
ब्याज के प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि फ्लोटिंग ब्याज है[7]						
मार्जिन, यदि फ्लोटिंग ब्याज है[8]	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं
क्या कोई कैप्स / फ्लोर ह[9]						
यदि उपरोक्त हां है तो कैप्स / फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि[10]						
..............से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
से प्रभावी प्रतिसंदाय						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]						
आधारिक विनिमय दर[16]						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						

1. ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसी, पीएफसी आदि।

2. ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस $ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि।

3. विद्यमान आस्तियों के लिए ब्यौरे 31.3.2014 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने हैं।

4. जहां ऋण पुनर्वित किया गया हैं, वहां पुनर्वित ऋण के लिए प्ररुप में ब्यौरे दिए जाने है। तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररुप में पृथक रूप से दिए जाने हैं।

5. ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या फ्लोटिंग है, अभिप्रेत है।

6. आधारिक दर से बैंक, एलआईबीओआर आदि द्वारा विनिर्दिष्ट आधारिक दर अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है। निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधार दर को भी संलग्न किया जाए।

7. मार्जिन से फ्लोटिंग दर से अधिक और ऊपर बिंदु अभिप्रेत हैं।

8. उस समय केप्स/फ्लोर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसमें फ्लोटिंग दरे फ्रोजन हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो सीमाओं का उल्लेख करें।

9. विलंबन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण, सर्विसिंग दायित्व अपेक्षित नहीं है।

10. प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है।

11. प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत है जिस पर ऋण सर्विसिंग मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक आदि के रूप में दी जानी होती है।

12. जहां ऋण की निकासी/प्रतिसंदाय एक से अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की रकम और तारीख अलग से दी जाए।

13. यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए।

14. विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए।

15. आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2014 को शेष आस्तियों के लिए 1.4.2014(वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है।

16. हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।

17. ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनः नियत तारीख (यदि कोई है) के साथ ब्याज की दर को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

18. ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें। उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया हैं, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन एवं शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि।

याचिकाकर्त्ता

विभिन्न आरएलडीसी के लिए निगमित ऋणों के आबंटन के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज 1	पैकेज 2	पैकेज3	पैकेज 4	पैकेज 5	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत1						
मुद्रा2						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3. 2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए सकल ऋण की रकम [3,4,5,13,15]						
ब्याज का प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि फ्लोटिंग ब्याज हो[7]						
मार्जिन, यदि फ्लोटिंग ब्याज हो[8]						
क्या कोई कैंपस/फ्लोर है[9]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
यदि उपरोक्त हां है तो कैप्स/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि [10]						
...............से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
...............से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त [13,14]						
आधारिक विनिमय						

दर16						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						
विभिन्न पारेषण स्कीमों के लिए ऋण का संवितरण						
पूर्वी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
पश्चिमी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
उत्तरी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
दक्षिणी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
आरएलडीसी						
कुल						

1. ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी,डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसी, पीएफसी आदि।

2. ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट जैसे यूएस$ डीएम, येन भारतीय रुपए आदि।

3. विद्यमान आस्तियों के लिए ब्यौरे 31.3.2014 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे।

4. जहां ऋण पुनर्वित किया गया है, वहां पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं। तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने है।

5. यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने है।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या फ्लोटिंग है, अभिप्रेत है।

7. आधारिक दर से बैंक, एलआईबीओआर आदि के द्वारा विनिर्दिष्ट आधारिक दर अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है। निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों को लागू अधारिक दर को भी संलग्न किया जाए।

8. मार्जिन से फ्लोटिंग दर से अधिक और ऊपर बिन्दु अभिप्रेत है।

9. उस समय केप्स/फ्लोर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसमें फ्लोटिंग दरे फ्रोजन हो जानी है। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो सीमाओं का उल्लेख करें।

10. विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण सर्विसिंग दायित्व अपेक्षित नहीं है।

11. प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है।

12. प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत है जिस पर ऋण सर्विसिंग मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है।

13. जहां ऋण निकासी/प्रतिसंदाय एक से अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए।

14. यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए।

15. विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए।

16. आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2014 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रलाचन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है।

17. हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।

18. ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनः नियत तारीख (यदि काई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

19. ट्रूईंगअप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें। उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसके पुर्नवित्त किया गया हैं, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुनर्वित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप – 6क

अवक्षयण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम………………………………

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4	5	6	7
पूंजी लागत का अवक्षयण						
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षयण						
अवपूंजीकरण या आस्तियों को बट्टेखाते डालने के कारण कटौती किया गया संचयी अवक्षयण						
संचयी अवक्षयण एवं वर्ष तक वसूल किया गए अवक्षयण पर अग्रिम						

प्ररुप–6ख

अवक्षयण दर की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम...

(रुपए लाख में)

क्र.स.	**आस्तियों के नाम**[1]	**31.3.2014 को सकल ब्लॉक जो भी बाद में हो और तदन्तर 31.3.2019 तक उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए**	**केविविआ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर**	**31.3.2019 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम**
	1	2	3	4 = स्तंभ2X3
1.	भूमि			
2.	भवन			
3.	और उससे आगे			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	कुल			
	अवक्षयण की भारित औसत दर (%)			

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची मेंउल्लिखित आस्तियों के वितरण के अनुसार होंगे।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप – 7क

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चें मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे

एनएलडीसी / आरएलडीसी का नाम...

(रुपए लाखों में)

	मदें	2009–10	2010–11	2012–13	2013–14	2014–15
	1	2	3	4	5	6
1	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					
2	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चें, आदि					
3	कुल					

टिप्पण :

1 संलग्न प्ररुपों के अनुसार इन व्ययों के ब्यौरे

2. सभी आरएलडीसी एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

याचिकाकर्त्ता

प्ररूप–7 ख

एनएलडीसी / आरएलडीसी का नाम......................................

मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे

अवधि

1. पूर्व पांच वर्षों के लिए वास्तविक
2. चालू वर्ष के पहले छह मास के लिए वास्तविक
3. चालू वर्ष के अंतिम छह मास के लिए प्रत्याशित
4. आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित

क्र. स.	लेखा कोड	विशिष्टियां	कार्यपालक		गैर कार्यपालक		कुल
			तकनीकी	गैर–तकनीकी	तकनीकी	गैर–तकनीकी	
1.	वेतन						
2.	अतिकाल भत्ता						
3.	महंगाई भत्ता						
4.	अन्य भत्ता						
5.	बोनस						
6.	उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन						
7.	उप योग (1 से 6)						
	अन्य कर्मचारिवृंद लागत						
8.	चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति						
9.	छुट्टी यात्रा रियायत						
10.	मकान किराए की प्रतिपूर्ति						
11.	कर्मचारिवृंद को अंतिम राहत						
12.	अर्जित छुट्टी का भुनाना						
13.	मानदेय						
14.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदाय						
15.	एक्स–ग्रेसिया						
16.	वीआरएस पर व्यय						
17.	उप योग (8 से 16 तक)						
18.	कर्मचारिवृंद कल्याण खर्चे						
19.	टर्मिनल फायदे						
20.	प्रावधान						
21.	अन्य(विनिर्दिष्ट करें)						
22.	कुल (7+17+18+19+20+21)						
23.	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो						

24.	शुद्ध योग (22–23)						
	अतिरिक्त जानकारी						
1.	को कर्मचारियों की संख्या						
	(i) कार्यपालक						
	(ii) गैर–कार्यपालक						
	(iii) कुशल						
	(iv) गैर कुशल						
	कुल						
2.	निम्नलिखित के अनुसार कर्मचारियों की संख्या						
	(i) संचालित मेगावाट						
	(ii) संचालित एमकेडब्ल्यूएच						

1) दिए गए शीर्ष के अधीन एचआर व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि को समुचित औचित्य सहित वर्णन किया जाना चाहिए।

2) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए।

3) वर्ष 2013–14 की पूर्व अवधि से संबंधित बकायों के ब्यौरे यदि कोई हो, पृथक् रूप से दर्शित किए जाने चाहिए।

4) प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को उपदर्शित किया जाना चाहिए।

5) असामान्य खर्चों के ब्यौरों को, यदि कोई हो, पृथक रूप से दर्शित किया जाना चाहिए।

6) वेतन पुनरीक्षण/बकायों के मद्दे 2008–09, 2009–14(वर्षवार) के दौरान कर्मचारी लागत से मासिकवार उपबंध किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्त्ता

मरम्मत और रखरखाव खर्चों के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम...

मरम्मत एवं रखरखाव खर्चें(वास्तविक)

क्र.स.	विशिष्टियां	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
			पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
1.	भंडार तथा पुर्जों की खपत					
2.	भंडार तथा पुर्जों की हानि					
3.	संयंत्र तथा मशीनरी मरम्मत तथा रखरखाव					
4.	सिविल संकर्म मरम्मत तथा रखरखाव					
5.	वार्षिक रखरखाव संविदा (4क+4ख+4ग)					
5क	संयंत्र तथा मशीनरी					
5ख	सिविल मरम्मत तथा रखरखाव					
5ग	अन्य					
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
7.	कुल (1+2+3+4+5+6)					
8.	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हो					
9.	शुद्ध योग (7–8)					

ख. मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें(विनियम के अनुसार)

विवरण	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14
वर्ष के 1 अप्रैल को स्वीकृत पूंजी					
मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					
पूंजी लागत की प्रतिशतता के रूप में मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप 7घ

प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.......................................

क्र .स.	विवरण		पूर्व पांच वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	(चालू वित्तीय वर्ष)			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
				पहले छह मास के लिए वास्तविक (रुपए करोड़ में)	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
	संपति से संबंधित खर्चें						
1.	अनुज्ञप्ति फीस						
2.	किराया						
3.	रेट्स तथा कर						
4.	बीमा						
5.	दुर्घटना आरक्षित निधि में अंशदान						
6.	उप जोड़						
	संचार						
7.	टेलीफोन तथा ट्रंककाल						
8.	पोस्टेज एवं टेलीग्राम						
9.	टेलेक्स, टेलीप्रिंटर प्रभार तथा टेली फैक्स						
10.	कूरियर प्रभार						
11.	अन्य						
12.	उपजोड़						
	वृत्तिक प्रभार						
13.	विधिक खर्चें						
14.	परामर्शी प्रभार						
15.	तकनीकी फीस						
16.	संपरीक्षा फीस						
17.	अन्य प्रभार						
18.	उपजोड़						
	सवारी तथा यात्रा						
19.	सवारी खर्चें						
20.	यात्रा खर्चें						
21.	वाहन किराया प्रभार						
22.	अन्य						
23.	उपजोड़						

	अन्य खर्चें						
24.	विद्युत प्रभार						
25.	फीस तथा अंशदान						
26.	पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं						
27.	मुद्रण तथा स्टेशनरी						
28.	विज्ञापन						
29.	मनोरंजन						
30.	देखरेख						
31.	प्रकीर्ण						
32.	संगठनात्मक विकास खर्चें						
33.	संदान						
34.	प्रशिक्षण						
35.	उपजोड़						
	सामग्री संबद्ध खर्चें						
36.	डेमरेज तथा घाट सामग्री						
37.	सफाई प्रभार						
38.	परिवहन बीमा						
39.	उपजोड़						
40.	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)						
41.	कुल (6+12+18+23+35+39 +40)						
42.	राजस्व वसूलियां यदि कोई हो						
43.	शुद्ध जोड़ (41–42)						

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप–8

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी / आरएलडीसी का नाम..

(रकम लाख रुपए में)

क्र.स.	विशिष्टियां	वर्तमान 2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओएंडएम खर्चें मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर						
2.	मानव संसाधन खर्चे						
3.	एनएलडीसी प्रभार						
4.	प्राप्य						
5.	कुल कार्यकरण पूंजी						
6.	ब्याज की दर						
7.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्त्ता

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम...

(रुपए लाखों में)

क्र.स.	ड्रा डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3(सीओडी)		
	विशिष्टियां	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम
1.	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण 2									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.3	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									

	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.4	–									
	–									
	–									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.2	कुल भारतीय ऋण 1									
1.2.1	भारतीय ऋण 1									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
1.2.2	भारतीय ऋण 2									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
1.2.3	भारतीय ऋण 3									

	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
1.2.4	.									
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
1.	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी									
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1 ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप तिमाही आधार पर की जाएगी। शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीखें भी हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप – 10

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम....................................

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर –I	क्वार्टर II	क्वार्टर III	कवार्टर IV
ठेकेदारों/प्रदायकर्त्ताओं को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करे।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप –11

एलडीसी विकास निधि

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....................................

लाख रुपए में

विशिष्टियां	31.3. 2014 को	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4	5	6	7
एलडीसी विकास निधि का आरंभ करना–प्रारंभिक						
वर्ष के दौरान एलडीसी विकास निधि में वृद्धियां						
कुल एलडीसी विकास निधि						
घटाएं : पूंजी व्यय के लिए उपयोग						
घटाएंः राजस्व व्यय के लिए उपयोग						
वर्ष के 31 मार्च को शुद्ध एलडीसी विकास निधि						
वर्ष के दौरान संचित औसत निधि						

टिप्पण : वृद्धियों और उपयोग का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग शीट में दिया जाएगा।

याचिकाकर्त्ता

प्ररुप –12

अन्य आय

एनएलडीसी / आरएलडीसी का नाम.....................................

लाख रुपए में

विशिष्टियां	31.3. 2014 को	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4	5	6	7
अन्य आय – प्रारंभिक						
जोड़ें : अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार						
जोडें: आरईसी आय से आबंटन						
जोडें:						
जोडे:						
जोडें:						
वर्ष के दौरान सकल आय						
घटाएं: कमियों को पूरा करने के लिए उपयोग						
घटाएं : के लिए उपयोग						
उससे आगे						
31 मार्च को शुद्ध आय						

याचिकाकर्त्ता

परिशिष्ट –II

(विनियम 6 के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु)

(आवेदक का नाम)	} स्पष्ट अक्षरों में
(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता................................)	

1. ऊपर नामित आवेदक ने फीस और प्रभारों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है।(आवेदक का नाम दें)
2. एनएलडीसी/आरएलडीसी के उपयोक्ता निम्नलिखित है:
   (क)
   (ख)
   (ग)
   ....
   ....
3. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) –
   मूल
   अंतिम (पुनरीक्षित) :
4. वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है:
5. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
   मूलः
   अंतिम (पुनरीक्षित):
6. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :
7. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में):
8. टैरिफ के ब्यौरे(लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(रुपए लाख में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्ष वार टैरिफ					
		पूर्व वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1. आरएलडीसी							
2. एनएलडीसी							

9. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है।

10. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ,तीसरी मंजिल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001 के समक्ष फाइल की जा सकेगी।

स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का
तारीख :	नाम और पदनाम

अवक्षयण अनुसूची

क्र.स.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर
क.	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
ख.	पट्टे पर ली गई भूमि	—
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	स्थल क्लीरिंग की लागत के लिए	3.34%
ग.	अन्य आस्तियां	
क	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग संकर्म	
(i)	कार्यालय एवं आवास	{3.34%}
(ii)	अंतर्विष्ट संयंत्र तथा उपस्कर	3.34%
(iii)	लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी संरचना	{100.00%}
(iv)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	{3.34%}
(v)	अन्य	{3.34%}
ख.	ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उपस्टेशन एवं अन्य नियत उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर्स नींव सहित 100 कि वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेंटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	5.28%
घ	लाइटनिंग अरेस्टर	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	5.28%
ङ	बैटरियां	
(i)	ज्वाइंट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	3.34%
च	केबल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवर हेड लाइन	
(i)	66 के वी से अधिक, टर्मिनल, वोल्टेज पर फैब्रिकेटिड स्टील प्रचालन पर लाईन	3.34%
(ii)	13.2 कि वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	5.28%

(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाईने	5.28%
छ	मीटर	5.28%
ज	सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	9.50%
झ	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ञ(i)	कार्यालय फर्नीचर एवं साज सज्जा	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	फिटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट की फिटिंगे	5.28%
ट	किराए पर लिए गए उपस्कर	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	संचार उपस्कर	
(i)	रेडियो एवं उच्च वारम्बारता कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाईन एवं टेलीफोन	6.33%
ड	सूचना प्रोद्योगिकी उपस्कर	15.00%
ढ़	साफ्टवेयर	30.00%
ण	कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट IV

(विनियम 4 के अनुपालन में)

1. ईकाई का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
3. वह क्षेत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण की मांग की गई है:
    i. उत्तर–पूर्वी
    ii. उत्तर
    iii. पूर्व
    iv. पश्चिम
    v. दक्षिण
4. उपयोक्ता प्रवर्ग :
    i. उत्पादन केन्द्र
    ii. विक्रेता
    iii. क्रेता
    iv. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी
    v. वितरण अनुज्ञप्तिधारी
    vi. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी
    vii. पावर एक्सचेंज

5. उपयोक्ता ब्यौरे (अंतिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को) :
    i. प्रवर्ग – उत्पादन केन्द्र
        i. कुल संस्थापित क्षमता
        ii. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
        iii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थानः

क्र.स.	**प्वाइंट आफ कनैक्शन**	**वोल्टेज स्तर(केवी)**	**इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरो(मेन) की संख्या**

    ii. प्रवर्ग – विक्रेता/क्रेता/वितरण अनुज्ञप्तिधारी
        i. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
        ii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थानः

क्र.स.	**प्वाइंट आफ कनैक्शन**	**वोल्टेज स्तर(केवी)**	**इस अब स्थान पर संस्थापित विशेष**

			ऊर्जा मीटरों(मिन) की संख्या

iii. प्रवर्ग – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अंतरराज्यिक)

i. सब स्टेशन :

क्र.स.	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता या डिजायन एमवीए संचालन क्षमता यदि स्वीचिंग स्टेशन है।

ii. पारेषण लाइन :

क्र.स.	वोल्टेज स्तर (केवी)	पारेषण लाईनों की संख्या	कुल सर्कट किलोमीटर

6. आरएलडीसी/एनएलडीसी से संबंधित मीटरों के लिए उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिसमें संपर्क किया जाना है:

i. नाम

ii. पदनाम

iii. लैंडलाईन टेलीफोन न0

iv. मोबाइल संख्या

v. ई–मेल पता

vi. पोस्टल पता

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :
तारीख

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नामः
पदनामः
संपर्क संख्याः

परिशिष्ट V

मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों का निर्धारण

आरएलडीसी/एनएलडीसी का नाम

कार्यनिष्पादन वर्ष

क्र.स.	**कार्यनिष्पादन संकेतक**	**भार**	**पूर्व वर्ष**	**चालू वर्ष**
1.	इंटरकनैक्शन मीटर त्रुटि	10		
2.	व्यवधान परिमापन	10		
3.	शटडाउन अनुरोध का औसत प्रोसेसिंग समय	10		
4.	स्काडा प्रणाली की उपलब्धतता	10		
5.	वोल्टेज विचलन इन्डैक्स (बीडीआई)	10		
6.	आवृत्ति विचलन इन्डैक्स (एफडीआई)	10		
7.	प्रणाली विश्वसनीयता की रिपोर्टिंग	10		
8.	वेबसाइट की उपलब्धता	10		
9.	वैकल्पिक आपूर्ति की उपलब्धता	05		
10.	पूंजी व्यय की भिन्नता	05		
11.	गैर पूंजी व्यय की भिन्नता	05		
12.	प्रमाणित कर्मचारी की प्रतिशतता	05		
	कुल	100		

(उक्त क्रम संख्या 1 से 7 में विनिर्दिष्ट मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों की संगणना परिशिष्ट 6 में दी गई है)

मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक

1. इंटर कनैक्शन मीटर त्रुटि की रिपोर्टिंग

विवरण	मीटर त्रुटि मीटर में त्रुटी तथा सीटी/पीटी के कारण और ड्रिफ्ट के कारण विशेष ऊर्जा मीटर में त्रुटी का संकेत करते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार मीटरिंग को कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है।
परिमापन /मानिटरिंग	साप्ताहिक
की गई कार्रवाई	साप्ताहिक रूप से वेबसाइट पर होस्ट की गई
टिप्पणियां	निवारक कार्रवाई के लिए संबंधित इकाइयों को सूचना

2. ग्रिड घटनाओं और ग्रिड व्यवधानों की रिपोर्टिंग

ऊर्जा की संबद्ध हानि सहित व्यवधानों की संख्या

प्रवर्ग'	क्षेत्र/राज्य/इकाई/ अनुज्ञप्तिधारी का नाम	गणना	रिकवरी अवधि	ऊर्जा की हानि
		संख्या	घंटे	एमयू
जीआई–1				
जीआई–2				
जीडी–1				
जीडी–2				
जीडी–3				
जीडी–4				
जीडी–5				
कुल				

*प्रवर्ग सीईए ग्रिड मानको में यथापरिभाषित। आरएलडीसी और एनएलडीसी को, आयोग को ग्रिड व्यवधान के प्रत्येक घटना रिपोर्ट करनी होगी।

3. शटडाउन अनुरोध का औसत प्रोसेसिंग समय

विवरण	यह प्रणाली के अंदर या बाहर घटक को लेते हुए अनुरोध के अनुमोदन में आर एलडीसी द्वारा लिया गया समय निर्धारित करता है
परिमापन/मानिटरिंग	मास में अनुरोधों की संख्या/माह में अनुरोधों के अनुमोदन के लिए लिया गया कुल समय
टिप्पणियां	पारेषण आउटेज समन्वय की प्रभावशीलता

4. स्काडा प्रणाली की उपलब्धता : प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी में स्काडा प्रणाली उपलब्धता 99.99 प्रतिशत होनी चाहिए।

5. वोल्टेज विचलन इन्डैक्स (वीडीआई)

विवरण	परिमापन /मानिटरिंग	की गई कार्रवाई	अपेक्षित टिप्पणी/कार्रवाई
सभी 400 और उससे ऊपर केवी के उपकेन्द्रों में आईईजीसी के अनुमत्त उपबंध रैंज के बाहर रखी गई वोल्टेज के समय का प्रतिशत है।	=(घंटों की संख्या 400 और उससे अधिक केवी के सभी उपकेन्द्रों में वोल्टेज दिन या सप्ताह या मास के दौरान रैंज के बाहर/दिन या सप्ताह या माह में घंटों की संख्या की रेंज के बाहर थी) x 100	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई	यदि अपेक्षित हो तो निवारक कार्रवाई के लिए संबंधित इकाइयों को सूचना

6. आवृत्ति विचलन इन्डैक्स(एफडीआई)

विवरण	परिमापन /मानिटरिंग	की गई कार्रवाई
समय की प्रतिशतता जिसमें आवृत्ति आईईजीसी रेंज के बाहर रही	=(घंटो की संख्या जिसके दौरान आवृत्ति दिन/सप्ताह/मास x 100 में घंटों की संख्या/दिन के दौरान रेंज के बाहर थी)	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई

7. प्रणाली विश्वसनीयता की रिपोर्टिंग

विवरण	**परिमापन /मानिटरिंग महत्वपूर्ण कारिडोर**	**की गई कार्रवाई**
विश्वसनीयता उपाय इसके अभीष्ठ कार्य के निष्पादन के लिए प्रणाली की क्षमता	अंतरक्षेत्रीय कारिडोर पर निम्नलिखित रिपोर्टिंग/महत्वपूर्ण बसे जहां पीएमयू क्षेत्र में संस्थापित किए गए हैं: – समय एन1 मानदंड का प्रतिशत अंतरक्षेत्रीय कारिडोर में उल्लंघन किया गया है। –टाईम एटीसी का प्रतिशत अंतरक्षेत्रीय कारिडोरो पर उल्लंघन किया गया है। –महत्वपूर्ण बसों पर टाइम एंगुलर अंतर का प्रतिशत अनुज्ञेय सीमा से आगे था।	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई